FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलक्टर पाली

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेण्ट :–

शेषुसिंह रावत पुत्र प्रेमसिंह जाति रावत
निवासी– म. न. 220 सूलिया खेड़ा
काछबली पुलिस थाना देवगढ़ राजसमन्द

जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर पाली

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील : 129/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/204

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2025	वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत पेश कर पुलिस थाना सदर पाली के प्रकरण संख्या 189/2025 अन्तर्गत धारा राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम व 11(डी) पशु क्रुरता अधिनियम में जब्तशुदा मोटर साईकिल वाहन संख्या आर.जे. 30 एस.क्यू 7281 को सुपुर्दगी नामा एवं जमानत पर छोडने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.10.2025 को पेश हो। **जिला कलक्टर, पाली**	
28.10.25	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने से पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दि. 29.10.25 को पेश हो	
29.10.25	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट ने सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा, शपथ पत्र एवं पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज पेश कि शा.मि. हो। पत्रावली वास्ते हुक्म दि. 30.12.25 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
30.12.25	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने से पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दि. 28.04.26 को पेश हो।	
28.04.26	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 06.05.26 को पेश हो।	
06.05.26	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 13.05.26 को पेश हो।	

प्र०स० - 129/2025 बअनवान शेषुसिंह रावत बनाम थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, पाली

13.05.2026 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि पुलिस थाना सदर पाली के प्रकरण संख्या 189/2025 अन्तर्गत धारा राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम व 11(डी) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत एक मोटर साईकिल वाहन संख्या RJ30SQ7281 जब्तशुदा है। जिसकी उक्त प्रकरण में कोई आवश्यकता है नही है। प्रार्थी प्रकरण के निस्तारण नही होने तक उक्त वाहन को बेचान, हस्तानान्तरण, रद्दोबदल या खुर्द-बुर्द नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को कोर्ट में प्रस्तुत करेगा, जब्त वाहन से ही प्रार्थी के परिवार की रोजी रोटी चलती है। इसलिए उक्त वाहन को जमानत व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज कर प्रार्थी को सुपुर्द कराने के आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा जब्तशुदा मोटर-साईकिल वाहन संख्या RJ30SQ7281 इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि प्रार्थी एक लाख रूपये जमानतनामा मय शपथ-पत्र पेश करें, कि प्रकरण के निस्तारण होने तक उक्त वाहन को बेचान, हस्तानान्तरण, रद्दोबदल या खुर्द-बुर्द नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को कोर्ट में पेश करेगा। इस पर प्रार्थी ने सुपुर्दगीनामा एवं कालूराम पुत्र वेनाराम ने एक लाख रूपये की जमानतनामा मय शपथ-पत्र पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर पाली को तहरीर जारी हो कि जब्तशुदा वाहन संख्या RJ30SQ7281 का किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर वाहन स्वामी को बएवज रसीद सुपुर्द किया जावें। प्राप्ति रसीद इस न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली